

कार्यालय निदेशक, तैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़:

आदेश क्रमांक 12/71-97 बि0-1828

दिनांक, चण्डीगढ़: 8-9-97

डुबआ-गाजीपुर रोड

नवोदय विद्या निकेतन हाई स्कूल, डबूआ कालोनी, परीदाबाद को मैट्रिक स्तर की स्थायी मान्यता दिनांक 1.4.97 से निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से चलावेंगे तथा ग्रांट आदि की मांग नहीं करेंगे।
2. विद्यालय निदेशकालय द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली दिशांगीय हिदायतों की पालना करेगा।
3. विद्यालय हरियाणा विद्यालय शिक्षा कोड की धारा 214 से 239 तक की शर्तों की पूर्ण रूप से पालना करेगा।
4. विद्यालय के प्रबन्धक शेष 70,000/- रु की राशि तीन त्रैमासिक किश्तों में जिला शिक्षा अधिकारी के नाम प्लेज करवायें।

बोद्धा राम,
संयुक्त निदेशक विद्यालय,

प्र0क्र0सम-

दिनांक, चण्डीगढ़: 9-9-97

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, परीदाबाद को।
2. चेयरमैन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
3. अधीक्षक तैकण्डरी शिक्षा शाखा स्थानीय।
4. अधीक्षक आंकड़ा स्थानीय।
5. मुख्याध्यापक, नवोदय विद्या निकेतन हाई स्कूल, डबूआ कालोनी, परीदाबाद
उनसे अनुरोध है कि शेष प्लेज की जाने वाली राशि निश्चित अवधि में जमा
करवाकर निदेशकालय को अनुपालना रिपोर्ट भेजें।

डुबआ-गाजीपुर रोड

उप निदेशक तैकण्डरी शिक्षा
कृते: निदेशक तैकण्डरी शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़।